4-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6-9-19 को पेश हो।

6-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

20/9/19 — वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 6.9.19 की पालना में डिक्री जारी करवाने बाबत स्टाम्प पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 202/2019 अन्तर्गत आकाशदीप बनाम बेगाराम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 202/2019

1 आकाशदीप पुत्र बेगाराम, जाति जाट, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 पूजा पत्नी आकाशदीप, जाति जाट, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 बेगाराम पुत्र कन्हैयालाल, जाति जाट, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रमन पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

3 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक :– 06.09.2019

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 30 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 78/67 के पत्थर नम्बर 42/234 (65) किला नम्बर 2/.127, 3, 4, 7, 14/.126, 17, 18, पत्थर नम्बर 42/235 (72) किला नम्बर 3 से 8, 13 से 18, 23 से 25 कुल 5.319 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रमाणित जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मतः हक हकूक निहित है। वादी एवम् प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का आपसी घरेलू समझौता के अनुसार उक्त कृषि भूमि में से निम्न प्रकार बंटवारा कर रखा है :–

(क) वादी संख्या 1 को पत्थर नम्बर 42/235 (72) किला नम्बर 5, 6, 14/.127, 15, 16, 17, 24, 25 भूमि 1.898 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(ख) वादी संख्या 2 पूजा को पत्थर नम्बर 42/234 (65) किला नम्बर 2/.124, 3, 4, 7, 14, 17, 18 यानी 1.518 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 को पत्थर नम्बर 42/235 (72) किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14/.126, 18, 23 कुल 1.897 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादीगण को वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि बंटवारा में प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हे इसलिए वादीगण मुताबिक कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

वादीगण का खाता प्रतिवादी के संयुक्त होने से वादीगण के हक हकूक पर विपरीत असर पड़ता है व हमेशा सींव बट का झगड़ा बना रहता है इसलिए मुताबिक कब्जा काश्त वादीगण खाता प्रतिवादीगण से अलग कायम करवाने के अधिकारी हैं।

लगातार 2

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वादी ने कई दफा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि मुताबिक कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार मान लो व खाता अलग कायम करवा दो तो पहले तो टाल मटोल करते रहे, गत सप्ताह इनकार हो गए, यही वाद कारण है।

वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमारया जावे :–

(क) प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादीगण के कब्जा काश्त रकवा की हद तक कलमजन कर वादी संख्या 1 को चक 30 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 42/235 (72) किला नम्बर 5, 6,14/.127, 15, 16, 17, 24, 25 भूमि यानी 1.897 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार खाता प्रतिवादीगण से अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादीगण के कब्जा काश्त रकबा की हद तक कलमजन कर वादी संख्या 2 को चक 30 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 42/234 (65) किला नम्बर 21/127, 3, 4–, 7, 14, 17, 18 यानी 1.518 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार खाता प्रतिवादीगण से अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 26.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि द्वितीय पक्षकार संख्या 1 के नाम चक 30 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 78/67 के पत्थर नम्बर 42/234 (65) किला नम्बर 2/.127, 3, 4, 7, 14/.126, 17, 18, पत्थर नम्बर 42/235 (72) किला नम्बर 3 से 8, 13 से 18, 23 से 25 कुल 5.313 हैक्टर भमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रथम पक्षकारान का जन्मतः हक हकूक निहित है। प्रथम पक्षकारान एवम् द्वितीय पक्षकारान ने उक्त भूमि का आपसी घरेलू समझौता के अनुसार उक्त कृषि भूमि में से निम्न प्रकार बंटवारा कर रखा है :–

(क) प्रथम पक्षकार संख्यर 1 को बंटवारा में पत्थर नम्बर 42/235 (72) किला नम्बर 5, 6, 14/.127, 15, 16, 17, 24, 25 भूमि 1.898 हैक्टर भूमि एवम् पत्थर नम्बर 42/234 (65) किला नम्बर 2/.127, 3, 4, 7, 14, 17, 18 यानी 1.518 हैक्टर भूमि कुल 3.416 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(ख) द्वितीय पक्षकार संख्या 1 को पत्थर नम्बर 42/235 (72) किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14/.126, 18, 23 कुल 1.897 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रथम पक्षकारान एवं द्वितीय पक्षकारान उक्तानुसार कब्जा काश्त करते आ है। यदि श्रीमान न्यायालय द्वारा वाद राजीनामा की मद संख्या 2 के अनुसार डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उज्र एतराज नहीं है। द्वितीय पक्षकार संख्या 2 ने प्रश्नगत भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग प्रथम पक्षकारान एवं द्वितीय पक्षकार संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है। इसके बाद प्रश्नगत भूमि में द्वितीय पक्षकार संख्या 2 का कोई हक हिस्सा प्रश्नगत भूमि में नहीं रहा है इसलिए राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है तो द्वितीय पक्षकार संख्या 2 को कोई उज्र एतराज नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 3

Web Copy Unofficial

Scanned by CamScanner

प्रथम पक्षकार संख्या 2 द्वारा वाद के अनुतोष में वादी संख्या 1 एवम् प्रतिवादी 1 व 2 के मध्य राजीनामा हो गया है जिस क्रम में प्रथम पक्षकार संख्या 2 के अनुतोष अनुसार चक 30 एल.एल.डब्ल्यू. की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 42/234 (65) किला नम्बर 2/.127, 3, 4, 7, 14, 17, 18 यानी 1.518 हैक्टर भूमि का प्रथम पक्षकार संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तो प्रथम पक्षकार को कोई उज्र एतराज नहीं है।

राजीनामा आज दोनों पक्षकारान द्वारा हाजिर अदालत आकर पूर्ण होश हवास में तस्दीक किया जा रहा है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) प्रथम पक्षकार संख्या 1 को पत्थर नम्बर 42/235(72) किला नम्बर 5, 6, 14/. 127, 10, 17, 24, 25 भूमि 1.898 हैक्टर भूमि एवम् पत्थर नम्बर 42/234 (65) किला नम्बर 2/.127, 3, 4, 14, 17, 18 यानी 1.518 हैक्टर भूमि कुल 3.416 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी अनुसार खाता अलग कायम किया जावे।

(ख) द्वितीय पक्षकार संख्या 1 को पत्थर नम्बर 42/235 (72) किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14/.126, 18, 23 कुल 1.897 हैक्टर भूमि प्राप्त है का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी अनुसार खाता अलग कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 की और से राज पैराकार द्वारा जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए याचित अनुतोष प्रदान किया जावे।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है।

लगातार 4

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 बेगाराम के पुत्र वादी संख्या 1 आकाशदीप को 3.416 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या की भूमि का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी आकाशदीप पुत्र बेगाराम, जाति जाट, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
30 एल.एल.डब्ल्यू.	78/67	42/235 (72)	5, 6, 14/.127 15, 16, 17, 24, 25	1.898 हैक्टर
		42/234 (65)	2/.126, 3, 4, 7, 14/.126, 17, 18	1.517 हैक्टर
कुल भूमि :–				3.415 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 1 बेगाराम पुत्र कन्हैयालाल, जाति जाट, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
30 एल.एल.डब्ल्यू.	78/67	42/235 (72)	3, 4, 7, 8, 13, 14/.126, 18, 23	1.897 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 06.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 202/2019

1 आकाशदीप पुत्र बेगाराम, जाति जाट, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 पूजा पत्नी आकाशदीप, जाति जाट, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 बेगाराम पुत्र कन्हैयालाल, जाति जाट, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 रमन पुत्री बेगाराम जाति जाट निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़
– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 06.09.2019

वादीगण की और से श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता, तथा प्रतिवादीगण की और से श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 20.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 बेगाराम के पुत्र वादी संख्या 1 आकाशदीप को 3.416 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या की भूमि का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी आकाशदीप पुत्र बेगाराम, जाति जाट, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
30 एल.एल.डब्ल्यू.	78/67	42/235 (72)	5, 6, 14/.127 15, 16, 17, 24, 25	1.898 हैक्टर
		42/234 (65)	2/.126, 3, 4, 7, 14/.126, 17, 18	1.517 हैक्टर
कुल भूमि :–				3.415 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 1 बेगाराम पुत्र कन्हैयालाल, जाति जाट, निवासी पक्का भादवां, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
30 एल.एल.डब्ल्यू.	78/67	42/235 (72)	3, 4, 7, 8, 13, 14/126, 18, 23	1.897 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 20.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 18:31:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: